न्यायालय: गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण कमांक : 340/13

संस्थापन दिनांक : 19.06.2013

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मौ जिला भिण्ड म.प्र.

- अभियोजन

<u>बनाम</u>

1—राकेश पुत्र विजयराम जोशी, उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम झांकरी थाना मौ जिला भिण्ड

– अभियुक्त

निर्णय

(आज दिनांक.....को घोषित)

- 1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 के अंतर्गम दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 25.04.13 को 19:00 बजे या उसके लगभग झांकरी रोड स्थित आरोपी की कोल्ड्र डिंक की दुकान के सामने अंतर्गत थाना मौ क्षेत्र में 200 लीटर क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा एक गत्ते में 8 बोतल बीयर ब्लेक फोर्ट, कीमत लगभग 6825 / रुपये बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखी।
- 2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.04.13 को प्र0आरक्षक रामिकशोर शर्मा थाना मौ से झांकरी जा रहे थे। तब झांकरी में जर्ये मुखबिर उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति झांकरी गोहद रोड पर कोल्ड्र डिंक की दुकान के सामने शराब तथा बीयर फुटकर बेच रहा है। तो वह मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचा तो एक व्यक्ति कागज के गत्तों में शराब देशी प्लेन के क्वार्टर तथा बीयर की बोतलें रखें बेच रहा था तथा कांच के गिलासों में पेग बनाकर शराब तथा

बीयर को बांट रहा था। आरोपी को घेरकर पकड़ा तथा नाम पता पूछा तो आरोपी ने अपना नाम राकेश पुत्र विद्य । राम जोशी उम्र 30 वर्ष निवासी झांकरी का होना बताया तथा आरोपी से शराब व बीयर बेचने व रखने का लाइसेन्स चाहा तो न होना बताया। तब साक्षी अवधेश अ०सा०1 व रिन्कू अ०सा०2 के समक्ष जप्ती पंचनामा प्र०पी—1 व आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र०पी—2 बनाया गया तथा थाना वापिसी पर आरोपी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी रिपोर्ट पर से थाना मौ में अप०क० 60/13 पर मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र न्यायालय के समक्षा पेश किया गया।

- 3. अारोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की मुख्य प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में किसी साक्षी का परीक्षित नहीं कराया गया है।
- 4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या आरोपी ने दिनांक 25.04.13 को 19:00 बजे या उसके लगभग झांकरी रोड स्थित आरोपी की कोल्डू डिंक की दुकान के सामने अंतर्गत थाना मौ क्षेत्र में 200 लीटर क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा एक गत्ते में 8 बोतल बीयर प्लेक फोर्ट, कीमत लगभग 6825/-रुपये बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखे ?

//विचारणीय प्रश्न का सकारण निष्कर्ष//

- 5. अवधेश अ०सा०१ ने कथन किया है कि आरोपी उसका भाई है परन्तु उसके सामने पुलिस ने कोई शराब जप्त नहीं की न ही आरोपी को गिरफतार किया। जप्ती पत्रक प्र०पी-1 व गिरफतारी पत्रक प्र०पी-2 पर इस साक्षी ने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं परनतु इस सुझाव से इंकार किया है कि दिनांक 25.04.13 को शाम 7 बजे आरोपी की दुकान को जब चैक किया था तो आरोपी राकेश के पास से मदिरा जप्त हुई थी जिसका लाइसेन्स उसके पास नहीं था। और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र०पी-3 में भी दिए जाने से इंकार किया है।
- 6. साक्षी रिन्कू अ०सा०२ के कथनानुसार उसके सामने पुलिस ने आरोपी से कोई शराब जप्त नहीं की न ही आरोपी को गिरफतार किया। जप्ती पत्रक प्र०पी–1 व गिरफतारी पत्रक प्र०पी–2 पर इस साक्षी ने हस्ताक्षार स्वीकार किए हैं परनतु इस सुझाव से इंकार किया है कि दिनांक 25.11.13 को शाम 7 बजे आरोपी की दुकान को

जब चैक किया था तो आरोपी राकेश के पास से मदिरा जप्त हुई थी और इस आशय के तथ्य उल्लिखित होने पर भी ध्यान आकर्षित कराये जाने पर कथन अंतर्गत धारा 161 दप्रस प्र0पी-4 में भी दिए जाने से इंकार किया है।

- जप्तीकर्ता रामिकशोर शर्मा की मृत्यू होने के 7. परिणामस्वरूप अभियोजन उक्त साक्षी को परीक्षित कराने में असमर्थ रहा है। धारा 294 दप्रस के अधीन मदिरा जांच रिपोर्ट प्र0पी—5 को बचाव पक्षा द्वारा विवादग्रस्त न होना बताया गया है। अतः घटना के स्वतंत्र साक्षी अवधेश अ0सा01 व रिन्कू अ0सा02 ने आरोपी से कोई वस्तू जप्ती पत्रक प्र0पी न के वर्णानुसार जप्त होने से इंकार किया है। उक्त साक्षीगण अभियोजन मामले के अनुसार प्रत्यक्षा साक्षी हैं। तिथा वह दस्तावेज के भी साक्षी हैं परन्तु उनके द्वारा अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया गया है। अभियोजन द्वारा अन्य साक्ष्य पेश नहीं की गयी है।अतः यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी से प्राप्त वस्तु ही रिपोर्ट प्र0पी—5 के अनुसार परीक्षित की गयी है। अतः अभियोजन अपना मामला सिद्ध करने में असफल रहता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 25.04.13 को 19:00 बजे या उसके लगभग झांकरी रोड स्थित आरोपी की कोल्ड्र डिंक की दुकान के सामने अंतर्गत थाना मौ क्षेत्र में 200 लीटर क्वार्टर देशी प्लेन मदिरा एक गत्ते में 8 बोतल बीयर ब्लेक फोर्ट, कीमत लगभग 6825 / – रुपये बिना किसी वैध अन् ज्ञप्ति के अपने आधिपत्य में रखे।
- परिणामतः आरोपी को म०प्र० आबकारी अधिनियम
 1915 की धारा 34 से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।
- 9. आरोपी के जमानत व मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 10. प्रकरण में जप्त मदिरा अपील अविध पश्चात नष्ट की जाये व अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये। जप्त चार गिलास अपील अविध पश्चात नष्ट किए जाये व अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये। प्रकरण में जप्त 25 / रूपये को प्राप्त करने के लिए किसी के द्वारा दावा नहीं किया गया है। अतः उसकी राशि राजसात की जाये व अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये।

दिनांक :-

सही / –
(गोपेश गर्ग)
यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0